

दि 22/11/2014

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक / 2014 जिला-मंदसौर

महेश चन्द्र पुत्र जगन्नाथ सविता पटवारी
तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर पूर्व
पटवारी तहसील गरोठ जिला मंदसौर
(म.प्र.) आवेदक

विरुद्ध

- 1- आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
- 2- कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.
- 3- अनुविभागीय अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) अनावेदकगण


आज दि 22-11-14 को
 राजाच मण्डल म.प्र. कार्यालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2221-एक/2014

जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	फसकारों एवं अभिवाचकों आदि के हस्ताक्षर
12-11-2014	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी तथा अनावेदक शासन की ओर से श्री बी०एन०त्यागी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें रिव्यु की ग्राह्यता पर सुना गया ।</p> <p>2- प्रकरण का अवलोकन किया गया उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1121-तीन/2008 में पारित आदेश दिनांक 7-3-2014 के विरुद्ध म०प्र०भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-</p> <p>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।</p> <p>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।</p> <p>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।</p> <p>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।</p>	<p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>